

Order Sheet [Contd]

Case No 190/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
19-05-2017	<p>आवेदक/आरोपी भूरा की ओर से श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप0क0 96/17 धारा 380 भा.द. वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री जी.एस.गुर्जर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश करना व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है उनके किसी विरोधी के द्वारा उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से पुलिस से मिलकर गिरफ्तार करवा दिया है। प्रार्थी के घर वालों ने पुलिस थाना जाकर जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि शक के आधार पर बिठा लिया है छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं गया है। तब प्रार्थी के भाई द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड को इस संबंध में अबगत कराया गया है। आवेदक से कोई माल बरामद नहीं हुआ है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उचित जमानत मुचलके पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि अभियुक्त पर झूठा मुकद्दमा दर्ज कराया गया है, जिसकी शिकायत आवेदक/अभियुक्त ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड को की है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध मिथ्या प्रकरण दर्ज कर दिया है।</p> <p>फरियादिया चंचल व्यास की दुकान में जाकर चार साड़ियाँ व दो स्टील चोरी करने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त पर इस प्रकरण में केवल 2,500/- रुपये की चोरी का आरोप है, किन्तु यदि आज ही इस न्यायालय में लंबित अन्य जमानत का अवलोकन किया जाए तो पुलिस थाना गोहद में अभियुक्त भूरा पर अपराध क्रमांक 96/17 भा.द.वि की धारा 380 किराने की दुकान में घुसकर चोरी करने का आरोप है, इसी प्रकार पुलिस थाना गोहद के अपराध क्रमांक 45/17 में भा.द.वि की धारा 379 में एक मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त भूरा पर आपराधिक 3 प्रकरण दर्ज होना प्रतिवेदन में भी दर्शाया गया है। आवेदक/अभियुक्त भूरा पर तीनों प्रकरण चोरी के हैं। अतः आवेदक/अभियुक्त भूरा के संबंध में रिकार्ड को दृष्टिगत</p>	

रखते हुए आवेदक/अभियुक्त भूरा को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त भूरा की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)